

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0032413

मेसर्स उषा टेक्सटाईल्स,
44, आगर रोड, उद्योगपुरी,
उज्जैन (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (पश्चिम संभाग),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन (म.प्र.)

— अनावेदकगण

आवेदक की ओर से श्री महेशचन्द्र पुरोहित उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आदेश
(दिनांक 06.09.2013 को पारित)

- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) की शिकायत क्रमांक W0235012 मेसर्स उषा टेक्सटाईल्स विरुद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 16.05.2013 के विरुद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।
- इन तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक विद्युत उपभोक्ता है तथा अनावेदक अनुज्ञाप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि अर्थात् कर्मचारी हैं । उपभोक्ता का औद्योगिक संयोजन सर्विस क्रमांक 45-02-900539 स्वीकृत भार 20 हार्स पावर, 44, उद्योगपुरी, आगर रोड, उज्जैन में स्थित है । उपभोक्ता के परिसर में 3 अ.श. अथवा उससे अधिक क्षमता की एक भी इण्डक्शन मोटर संयोजित नहीं है । अनावेदक के अंकेक्षण दल के द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि अप्रैल 2008 से जुलाई 2009 तक की समयावधि में उपभोक्ता के प्रतिमाह औसत पॉवर फैक्टर समग्र रूप से 0.8 से कम रहा है, अतः लो पॉवर फैक्टर अधिभार की राशि रु. 14489/- का देयक उपभोक्ता को अदा करने के लिए जारी किया है ।

3. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में स्थापित कनेक्शन से संयोजित 21 इण्डक्शन मोटरों का कुल भार 19.6 अ.श. है, क्योंकि पॉवर लो में प्रत्येक में 1-1 अ.श. की मोटर लगी हैं। ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसे अपने परिसर में केपेसिटर लगाने की आवश्यकता नहीं थी, अतः कम केपेसिटर न लगाने के कारण कम पावर फैक्टर के आधार पर उससे अधिभार के रूप में जिस राशि की मांग की जा रही है वह उचित न होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
4. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में यह आपत्ति की गई है कि उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर उसके संयोजन भार पर केपेसिटर न लगे होने के कारण केपेसिटर सरचार्ज की राशि वसूलने के लिए देयक जारी किए गए हैं, क्योंकि संयोजन भार पर सम्बद्ध भार पर पॉवर फैक्टर 0.8 या 80 प्रतिशत मैन्टेन करना आवश्यक है।
5. फोरम ने मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 6.15, 6.16, 6.17 का उदाहरण देते हुए शिकायत के संबंध में यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता के परिसर में एक अश्व क्षमता की 21 इण्डक्शन मोटरे लगी हैं, जिनका कुल संयोजित भार 19.5 अ.श. है। उक्त भार के अनुसार उपभोक्ता के लिए यह आवश्यक था कि वह 1 निम्नदाब केपेसिटर बैंक अथवा 3 या 4 इण्डक्शन मोटरों का एक समूह बनाकर प्रत्येक को एक इकाई मानकर एक मैन स्विच से नियंत्रित कर मैन स्विच पर भार के अनुरूप उचित क्षमता का निम्नदाब केपेसिटर लगाने की व्यवस्था करता जिससे माह के दौरान समग्र रूप से औसत पावर फैक्टर 0.8 से कम नहीं होता। उपभोक्ता द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, अतः लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज के आधार पर जो देयक जारी किया गया है उस राशि को वसूल करने का अधिकार विद्युत वितरण कम्पनी को है।
6. उपभोक्ता की ओर प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन दिनांक 11.06.13 को पंजीबद्व किया गया। सुनवाई के लिए नियत दिनांक 06.08.13 को अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा सुनवाई स्थगित किए जाने की सूचना जरिए डाक प्रेषित की गई। मामला सुनवाई के लिए पुनः 31.08.13 को नियत किया गया, परन्तु इस दिनांक को भी अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा तिथि स्थगित किए जाने का पुनः अनुरोध किया गया, परन्तु उक्त दिनांक को सुनवाई दिनांक स्थगित नहीं की गई। आवेदक को सुना गया तथा मामला आदेश के लिए नियत किया गया, परन्तु इसके बाद अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः गुण-दोषों के आधार पर शिकायत का निराकरण किया जा रहा है।

7. इस प्रकरण में मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या :

- (1) उपभोक्ता को स्वयं के व्यय पर निम्न दाब वाले शंट केपेसिटर को अपनी मोटर के टर्मिनलों के बीच लगाने की व्यवस्था करना आवश्यक था, यदि हाँ तो प्रभाव ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :

8. विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 1 का विवेचन : मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 6.15 के प्रावधान इस प्रकार है :—

¹[6.15 Every L.T. consumer, including irrigation pump set consumer, whose connected load includes induction motor(s) of capacity of 3 BHP and above, shall arrange to install Low Tension Shunt Capacitors of appropriate capacity at his cost across the terminals of his motor(s).

The consumer on whose LT connection the meter provided by the Licensee does not have the power factor recording feature, shall ensure installation of Capacitors as per ratings indicated in the following table and shall maintain these capacitors in working condition.

Sr No	Rating of Individual Induction Motor	KVAR Rating of LT Capacitors
1	3 BHP and above upto 5 BHP	1
2	Above 5 BHP upto 7.5 BHP	2
3	Above 7.5 BHP upto 10 BHP	3
4	Above 10 BHP upto 15 BHP	4
5	Above 15 BHP upto 20 BHP	5
6	Above 20 BHP upto 30 BHP	6
7	Above 30 BHP upto 40 BHP	7
8	Above 40 BHP upto 50 BHP	8
9	Above 50 BHP upto 100 BHP	9

The consumer on whose LT connection, the meter provided by the Licensee has the power Factor recording feature, shall ensure that the capacitors installed by him ensure power factor of 80% and above.

Supply to LT installations with induction motor(s) of capacity of 3 BHP and above will not be given unless suitable capacitors to improve power factor are installed.]

9. धारा 6.15 के प्रावधानों के साथ धारा 6.16 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना भी उचित होगा, जो इस प्रकार है :—

6.16 All LT consumers, other than consumers covered in clause 6.15 with load of 50 kW or above, shall install capacitor of appropriate capacity so as to ensure power factor of 80% and above. Consumers shall be liable to pay penalty specified by the Commission, from time to time, on account of poor power factor.

10. फोरम ने इन्हीं प्रावधानों के परिपेक्ष्य में यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता के परिसर में 1 हार्स पॉवर की 21 मोटर लगी थी, ऐसी स्थिति में विधि के उक्त उपबंधों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता को केपेसिटर लगाना आवश्यक था। चूंकि विधि के उक्त उपबंधों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता धारा 6.15 में वर्णित उपभोक्ता की परिधि में आता था। उसके परिसर में 1 बीएचपी की क्षमता से अधिक का कोई मोटर नहीं लगा था, ऐसी स्थिति में उसे निम्नदाब वाले शंट केपेसिटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उपभोक्ता को केपेसिटर लगाना आवश्यक नहीं था, इस तथ्य का स्पष्टीकरण संहिता की धारा 6.16 के प्रावधानों का अवलोकन करने से प्राप्त है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता जिनका भार 50 किलोवॉट या अधिक हो, को समुचित क्षमता का केपेसिटर लगाना आवश्यक है। उपभोक्ता का कुल भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक नहीं था, क्योंकि उपभोक्ता के परिसर में 1 बीएचपी के जो 21 मोटर लगे थे उनका कुल भार लगभग 16 किलोवॉट की परिधि के अन्तर्गत ही आता है, अतः ऐसे उपभोक्ता को पावर फैक्टर में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के केपेसिटर लगाना आवश्यक नहीं था।

11. उपभोक्ता को केपेसिटर लगाना आवश्यक नहीं था, इस तथ्य का स्पष्टीकरण धारा 6.16 के अवलोकन से भी प्राप्त होता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि जिन निम्नदाब संयोजन के 3 बीएचपी या उससे अधिक क्षमता की इण्डक्शन मोटर लगी हो, को विद्युत आपूर्ति नहीं की जाएगी जब तक की उन्हें पॉवर फैक्टर में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के केपेसिटर न लगे हों। इस मामले में उपभोक्ता के परिसर में 1 बीएचपी क्षमता की 21 इण्डक्शन मोटरें लगी हुई थी। उपभोक्ता ने पॉवर फैक्टर में सुधार के लिए केपेसिटर नहीं लगाए थे, परन्तु अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उसे विद्युत की आपूर्ति की जा रही थी तथा

प्रश्नगत् देयक जारी किए जाने के बाद भी यह जानकारी होने पर कि उपभोक्ता द्वारा केपेसिटर नहीं लगाया गया है, उपभोक्ता के परिसर में विद्युत आपूर्ति को बन्द किए जाने का कोई प्रयास अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा नहीं किया गया था तथा अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा इस संबंध में उपभोक्ता को कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि यदि उपभोक्ता द्वारा पॉवर फैक्टर में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के केपेसिटर नहीं लगाए जाते हैं तो उसका विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी जाएगी ।

12. अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को केपेसिटर लगाए बिना विद्युत की आपूर्ति करने तथा यह जानकारी होने पर भी कि उपभोक्ता द्वारा उचित क्षमता के केपेसिटर नहीं लगे हैं उसकी विद्युत आपूर्ति को बन्द न करने तथा केपेसिटर लगाने का निर्देश न देना यह साबित करता है कि उपभोक्ता को अपने परिसर में स्थापित इण्डक्शन मोटरों के लिए केपेसिटर लगाना आवश्यक नहीं था ।

13. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता को 19.5 अ.श. भार के अनुसार 3 या 4 इण्डक्शन मोटरों का एक समूह बनाकर उनके लिए आवश्यक केपेसिटर लगाना चाहिए । फोरम का यह निष्कर्ष विधि के अनुरूप होना नहीं पाया जाता है । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि किसी उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटरों की कुल क्षमता 3 बीएचपी से अधिक हो तो ऐसे इण्डक्शन मोटरों के लिए केपेसिटर लगाना आवश्यक है । संहिता की धारा 6.15 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि 3 बीएचपी अथवा उससे अधिक की क्षमता का यदि एक या उससे अधिक मोटर किसी परिसर में लगे हो उस स्थिति में केपेसिटर लगाना आवश्यक है ।

14. यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विद्युत के सिंगल फेस कनेक्शन से एक हार्स पावर की मोटर को चलाया जा सकता है, परन्तु यदि मोटर का भार 3 हार्स पावर या उससे अधिक हो तो ऐसे मोटर को सिंगल फेस कनेक्शन से नहीं चलाया जा सकता है । 3 हार्स पावर की मोटर को चलाने के लिए थ्री-फेस कनेक्शन की आवश्यकता होती है । ऐसे मोटर को संचालित किए जाने के लिए केपेसिटर लगाने से 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है । ऊर्जा की इसी बचत को ध्यान में रखते हुए केपेसिटर लगाए जाने का प्रावधान किया गया है । सिंगल फेस कनेक्शन में 1 हार्स पावर का मोटर लगाए जाने पर केपेसिटर लगाने से विद्युत ऊर्जा की बचत नहीं होती है, अतः ऐसे मोटर या ऐसे मोटरों के समूहों में केपेसिटर लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है ।

: निष्कर्ष :

15. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता को अपने परिसर में स्वयं के व्यय पर निम्न दाब वाले शंट केपेसिटर अपने मोटरों के टर्मिनलों के बीच लगाने की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं था, अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 1 का विनिश्चय उपभोक्ता के पक्ष में सकारात्मक निर्णीत किया जाता है । फोरम का प्रश्नगत् आदेश निरस्त किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि आवश्यक क्षमता के केपेसिटर न लगाने के कारण उपभोक्ता से पॉवर फैक्टर के रूप में रु. 14,489/- का जो देयक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को दिया गया है उस देयक में वर्णित राशि को अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी उपभोक्ता से वसूल पाने की अधिकारी नहीं है । यदि उपभोक्ता द्वारा ऐसी राशि जमा की गई हो तो अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी द्वारा राशि 3 माह के अन्दर उपभोक्ता को वापस की जाए अथवा उपभोक्ता के परिसर में आगे आने वाले देयकों में उक्त राशि का समायोजन किया जावे ।
16. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल